भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-44

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

एनईपी 2020 के अंतर्गत डिजिटल शिक्षा संबंधी योजनाएं

†44. **श्री वरुण चौधरी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति (एनईपी) **2020** के अनुसार वर्ष **2025** तक विद्यालयों में शत-प्रतिशत डिजिटल सक्रियता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान डिजिटल शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या अवसंरचना संबंधी कमियों का पता लगाने के लिए कोई लेखापरीक्षा की गई है और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन कमियों को दूर करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से **(ग):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक परिवर्तनकारी रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसे पाँच मार्गदर्शक स्तंभों:पहुँच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही पर बनाया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक ऐसा शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहाँ हर शिक्षार्थी को, चाहे उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, उच्च-गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिलें। इन मूलभूत लक्ष्यों के साथ संरेखित, पीएम ई-विद्या पहल शैक्षिक अंतराल को कम करने और समान पहुँच को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए आधारशिला कार्यक्रम के रूप में उभरती है। डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन-एयर शैक्षिक संसाधनों को एकीकृत करके, पीएम ई-विद्या देश भर में 25 करोड़ से अधिक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के अवसर सुनिश्चित करती है।यह पहल अपने समावेशी और शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से एनईपी 2020 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करती है।

पीएम ईविद्या एक बहु-मोडल दृष्टिकोण अपनाता है जो विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करता है और छात्रों की विभिन्न शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो कि एनईपी 2020 के शिक्षार्थी-केंद्रित शैक्षिक ढांचे (पैरा 24.4, एनईपी 2020) के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पीएम ईविद्या की विशिष्टता इसकी व्यापक और समावेशी पहुंच में निहित है, जो इंटरनेट, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, पॉडकास्ट और टीवी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी शिक्षार्थी पीछे न छूटे। दीक्षा (वन नेशन - वन डिजिटल प्लेटफॉर्म) एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में कार्य करता है, जो पाठ्यक्रम के साथ संरेखित शैक्षिक संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कक्षा-विशिष्ट शिक्षा के लिए समर्पित 200 डीटीएच टीवी चैनलों का भी लाभ उठाता है, जिससे शैक्षिक सामग्री सैटेलाइट टीवी के माध्यम से व्यापक रूप से सुलभ हो जाती है। स्वयं एमओओसी बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो छात्रों के लिए गहन शैक्षणिक जुड़ाव और अधिगम के अवसरों का विस्तार करता है। समावेशिता का समर्थन करने के लिए, पीएम ईविद्या दिव्यांग छात्रों के लिए दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए डेज़ी और श्रवण-बाधित छात्रों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा जैसे प्रारूपों में ई-सामग्री प्रदान करता है। सामुदायिक रेडियो और पॉडकास्ट ऑडियो-आधारित शैक्षिक सामग्री प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को लक्षित करते हुए, इंटरनेट की आवश्यकता के बिना अधिगम की पहुँच सुनिश्चित करते हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) डिजिटल दक्षताओं को बढ़ाने के लिए माध्यमिक स्तर पर डेटा एंट्री ऑपरेशंस और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों की पेशकश करके डिजिटल शिक्षण को अपने पाठ्यक्रम में एकीकृत करता है। इसने ऊर्जावान स्व-शिक्षण सामग्री (एसएलएम) विकसित की है जो पहुंच और जुड़ाव सुनिश्चित करते हुए मुद्रित और डिजिटल दोनों प्रारूपों में क्यूआर कोड के माध्यम से मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करती है।एनआईओएस ने सुरक्षित और सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल के लिए डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल प्रमाणीकरण को भी अपनाया है। इसका डिजिटल एजुकेशन और ई-रिसोर्सेज प्लेटफॉर्म (डीईईपी) विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्रियों तक खुली पहुंच प्रदान करता है, जिसमें ई-जर्नल, ई-पुस्तकें और कई भाषाओं में संदर्भ सामग्री शामिल है, जो सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों का सहयोग प्रदान करती है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय वर्ष 2018-19 से पूरे देश में समग्र शिक्षा को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध

पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और उन्हें निरंतर अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

समग्र शिक्षा के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में कक्षा VI से XII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 'आईसीटी और डिजिटल पहल' के तहत गैर-आवर्ती/आवर्ती अनुदान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु निम्नलिखित दो विकल्पों के लिए उपलब्ध है:

विकल्प I: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे अपनी आवश्यकता और जरूरत के अनुसार आईसीटी या स्मार्ट कक्षा का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में, एक अतिरिक्त आईसीटी लैब पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास टैबलेट/लैपटॉप/नोटबुक/एकीकृत शिक्षण अधिगम उपकरण और ओपन-सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षण और संसाधन सहायता जैसे हार्डवेयर खरीदने की छूट प्राप्त है। इसमें अनुमोदित स्कूलों की संख्या के अनुपात के आधार पर डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट कक्षा, वर्चुअल कक्षा और डीटीएच चैनलों के लिए सहायता शामिल होगी।

विकल्प II: इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठाया है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट कक्षा/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

वित्तीय प्रावधान

- **आईसीटी लैब:** पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रति विद्यालय **6.40** लाख रुपये तक का गैर-आवर्ती अनुदान और प्रति वर्ष प्रति विद्यालय **2.40** लाख रुपये तक का आवर्ती अनुदान।

वर्ष **2023-24** से, यह योजना स्कूल नामांकन के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वित्तपोषण भी प्रदान करेगी। (संख्या < **100: 2.5** लाख रुपये, **100-250** के बीच: **4.5** लाख रुपये, **250-700** के बीच: **6.4** लाख रुपये)

- **स्मार्ट कक्षा:** स्मार्ट कक्षा (प्रति स्कूल **2** स्मार्ट क्लासरूम) के लिए गैर-आवर्ती अनुदान **2.40** लाख रुपये है और आवर्ती अनुदान **38,000** रुपये (ई-सामग्री और डिजिटल संसाधन, बिजली के लिए शुल्क सहित) है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान आईसीटी और स्मार्ट कक्षा घटक के अंतर्गत आवंटित (जिसमें गत वर्ष की जारी की गई धनराशि भी शामिल है) और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	**आईसीटी लैब्स**		**स्मार्ट कक्षा**	
	आवंटन	**उपयोग**	**आवंटन**	**उपयोग**
2021-22	68456.0	26768.8	91092.7	15852.07
2022-23	41824.0	71209.7	73823.2	66276.64
2023-24	55904.4	78672.6	53729.7	36947.14

पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा एनसीईआरटी को आवंटित और डिजिटल शिक्षा घटक के अंतर्गत उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रु. लाख में)

वर्ष	**पीएबी परियोजनाओं को डीओएसईएल, एमओई द्वारा एनसीईआरटी के माध्यम से वित्त पोषित किया गया**	
	आवंटन	**उपयोग**
2021-22	12390.0	7985.0
2022-23	51093.0	29680.0
2023-24	36605.0	36605.0

समग्र शिक्षा की लेखा परीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्मार्ट कक्षा रूम सहित समग्र शिक्षा के विभिन्न घटकों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी और लेखा परीक्षा दोनों का पता लगाने, निगरानी करने के लिए एक सुदृढ़ एमआईएस पोर्टल अर्थात प्रबंध विकसित किया है।

*****